

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....राजपाल..... बनामराजवीर चौधरी.....
 किस्म मुकदमा225/2020..... मु. नं०.....20..... वर्ष.....2021.....


दिनांक	आज्ञा पत्र
--------	------------

13-21

अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री झाबर सिंह उपस्थित रेस्पोंडेंट की और से सागर सिंह अधिवक्ता उपस्थित स्थगन पर उभयपक्ष को सुना गया। वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के आदेश का फायदा उठाकर रेस्पोंडेंट विवादित भूमि को बेचान करने पर आमादा है। अतः स्थगन स्वीकार किया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मूल आवेदन 212 विचारण न्यायालय में लम्बित है। अतः अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश धारा 212 के आवेदन संख्या 53/2020 में प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 4 सीपीसी में पारित किया गया है। मूल आवेदन धारा 212 विचारण न्यायालय में लम्बित है। चूकिं प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश के विरुद्ध है। ऐसी अपील इस स्तर पर पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।


 (राजवीर सिंह चौधरी)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
 सीकर

